2021 का विधेयक सं.16

राजस्थान राजवित्तीय उत्तरदायित्व और बजट प्रबंध (संशोधन) विधेयक, 2021

(जैसाकि राजस्थान विधान सभा में पुर:स्थापित किया जायेगा)

राजस्थान राजवित्तीय उत्तरदायित्व और बजट प्रबंध अधिनियम, 2005 को और संशोधित करने के लिए विधेयक।

भारत गणराज्य के बहत्तरवें वर्ष में राजस्थान राज्य विधान-मण्डल निम्नलिखित अधिनियम बनाता है:-

1. संक्षिप्त नाम और प्रारम्भ.- (1) इस अधिनियम का नाम राजस्थान राजवित्तीय उत्तरदायित्व और बजट प्रबंध (संशोधन) अधिनियम, 2021 है।

(2) यह तुरन्त प्रवृत्त होगा।

2. 2005 के राजस्थान अधिनियम सं. 7 की धारा 6 का संशोधन.- राजस्थान राजवित्तीय उत्तरदायित्व और बजट प्रबंध अधिनियम, 2005 (2005 का अधिनियम सं. 7) की धारा 6 के प्रथम परन्तुक में, खण्ड (ङ) के अंत में आये विद्यमान विराम चिह्न ":" के स्थान पर अभिव्यक्ति "; या" प्रतिस्थापित की जायेगी और इस प्रकार संशोधित खण्ड (ङ) के पश्चात् निम्नलिखित नया खण्ड जोड़ा जायेगा, अर्थात्:-

"(च) केन्द्रीय सरकार द्वारा विद्युत क्षेत्र में निष्पादन मानदंडों के आधार पर 2021-22 से 2024-25 तक की कालावधि के लिए सकल राज्य देशी उत्पाद का 0.50 प्रतिशत अतिरिक्त उधार लेने को अनुज्ञात किये जाने के कारण,"।

उद्देश्यों और कारणों का कथन

व्यय विभाग (लोक वित्त-राज्य प्रभाग), वित्त मंत्रालय, भारत सरकार ने विद्युत क्षेत्र में निष्पादन से संबंधित, सकल राज्य देशी उत्पाद (स.रा.दे.उ.) का 0.50 प्रतिशत अतिरिक्त उधार लेने के संबंध में मार्गदर्शक सिद्धांत जारी किये हैं। इन मार्गदर्शक सिद्धांतों के अनुसार, ऐसा अतिरिक्त उधार लेने के लिए समर्थ बनाने हेतु राज्य द्वारा अपनी राजवित्तीय उत्तरदायित्व विधि को संशोधित किया जाना अपेक्षित है।

इसलिए, राजस्थान राजवित्तीय उत्तरदायित्व और बजट प्रबंध अधिनियम, 2005 की धारा 6 के प्रथम परन्तुक में नया खण्ड (च) जोड़ा जाना प्रस्तावित है।

यह विधेयक पूर्वोक्त उद्देश्य की प्राप्ति के लिए ईप्सित है।

अत: विधेयक प्रस्तुत है।

अशोक गहलोत,

प्रभारी मंत्री।

राजस्थान राजवित्तीय उत्तरदायित्व और बजट प्रबंध अधिनियम, 2005 (2005 का अधिनियम सं. 7) से लिये गये उद्धरण

XX XX XX XX XX

6. राजवित्तीय प्रबन्ध के लक्ष्य.- विशिष्टतया और पूर्वगामी उपबंधों की व्यापकता पर प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना, राज्य सरकार-

(क) से (च) XX XX XX XX XX

परन्तु राजस्व घाटा और राजवित्तीय घाटा,-

(क) से (घ) XX XX XX XX XX

(ङ) केन्द्रीय सरकार द्वारा कोविड-19 महामारी के मद्धे अतिरिक्त उधार लेने की सीमा अनुज्ञात किये जाने के कारण:

इस धारा के अधीन विनिर्दिष्ट सीमाओं से अधिक हो सकेगा:

परन्तु यह और कि प्रथम परन्तुक में उल्लिखित आधारों के कारण होने वाले सीमाओं के आधिक्य को, उक्त आधारों पर व्यय के विस्तृत विवरण सहित, यथासंभव शीघ्र राज्य विधान-मण्डल के सदन के समक्ष स्पष्ट किया जायेगा।

XX XX XX XX XX

Bill No.16 of 2021

(Authorised English Translation)

THE RAJASTHAN FISCAL RESPONSIBILITY AND BUDGET MANAGEMENT (AMENDMENT) BILL, 2021

(To be introduced in the Rajasthan Legislative Assembly)

A

Bill

further to amend the Rajasthan Fiscal Responsibility and Budget Management Act, 2005.

Be it enacted by the Rajasthan State Legislature in the Seventy-second Year of the Republic of India, as follows:-

1. Short title and commencement.- (1) This Act may be called the Rajasthan Fiscal Responsibility and Budget Management (Amendment) Act, 2021.

(2) It shall come into force at once.

2. Amendment of section 6, Rajasthan Act No. 7 of 2005.- In clause (e) of first proviso to section 6 of the Rajasthan Fiscal Responsibility and Budget Management Act, 2005 (Act No. 7 of 2005), for the existing punctuation mark ":" appearing at end, the expression "; or" shall be substituted and after clause (e) so amended, the following new clause shall be added, namely:-

"(f) due to additional borrowing of 0.50 per cent of Gross State Domestic Product for the period 2021-22 to 2024-25, allowed by Central Government based on performance criteria in the power sector:".

STATEMENT OF OBJECTS AND REASONS

The Ministry of Finance, Department of Expenditure (Public Finance-State Division), the Government of India has issued Guidelines on additional borrowing of 0.50 per cent of Gross State Domestic Product (GSDP) linked to performance in the Power Sector. As per the Guidelines, the State is required to amend its fiscal responsibility law to enable such additional borrowing.

Therefore, a new clause (f) in first proviso to section 6 of the Rajasthan Fiscal Responsibility and Budget Management Act, 2005 is proposed to be added.

The Bill seeks to achieve the aforesaid objective.

Hence the Bill.

अशोक गहलोत,

Minister Incharge.

EXTRACTS TAKEN FROM THE RAJASTHAN FISCAL RESPONSIBILITY AND BUDGET MANAGEMENT ACT, 2005

(Act No. 7 of 2005)

XX XX XX XX XX

6. Fiscal Management Targets.- In particular and without prejudice to the generality of the foregoing provisions, the State Government shall-

(a) to (f) xx xx xx xx xx

Provided that revenue deficit and fiscal deficit may exceed the limits specified under this section-

(a) to (d) xx xx xx xx xx

(e) due to additional borrowing limit allowed by the Central Government on account of Covid-19 pandemic:

Provided further that the excess beyond limits arising due to the grounds mentioned in the first proviso shall be explained with a detailed statement on the said grounds, as soon as possible, before the House of the State Legislature.

XX XX XX XX XX

2021 का विधेयक सं. 16

राजस्थान राजवित्तीय उत्तरदायित्व और बजट प्रबंध (संशोधन) विधेयक, 2021

(जैसाकि राजस्थान विधान सभा में पुरःस्थापित किया जायेगा)

राजस्थान विधान सभा

राजस्थान राजवित्तीय उत्तरदायित्व और बजट प्रबंध अधिनियम, 2005 को और संशोधित करने के लिए विधेयक।

(जैसाकि राजस्थान विधान सभा में पुरःस्थापित किया जायेगा)

प्रमिल कुमार माथुर,
सचिव।

(अशोक गहलोत, प्रभारी मंत्री)

Bill No. 16 of 2021

THE RAJASTHAN FISCAL RESPONSIBILITY AND BUDGET MANAGEMENT (AMENDMENT) BILL, 2021

(To be introduced in the Rajasthan Legislative Assembly)

RAJASTHAN LEGISLATIVE ASSEMBLY

A

Bill

further to amend the Rajasthan Fiscal Responsibility and Budget Management Act, 2005.

(To be introduced in the Rajasthan Legislative Assembly)

Pramil Kumar Mathur,
Secretary.

(Ashok Gehlot, **Minister-Incharge**)